दिनांक 25.06.2025 "स्वच्छ एवं सुंदर भिलाई"

पशुपालकों के साथ गोकुल नगर के संबंध में बैठक

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय के कक्ष में गोकुल नगर कुरूद के पशुपालकों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में चर्चा अनुसार गोकुल नगर के 164 पशुपालकों को वर्ष 2007 में निगम द्वारा भूमि आबंटित किया गया था। जिसमें से 03 पशुपालकों द्वारा प्रब्याजी की पूर्ण राशि जमा कर दिया गया है। शेष 161 पशुपालकों द्वारा प्रथम किश्त की राशि जमा की गई है। प्रथम किश्त की राशि जमा करने पश्चात पशुपालकों एवं नगर निगम भिलाई के मध्य अनुबंध पत्र निष्पादित किया गया था। पशुपालकों को आबंटित भूमि के संबंध में मामला माननीय उच्च न्यायालय एवं सुप्रीम कोर्ट में लंबित रहने से पूर्व में राशि जमा नहीं की गई है। माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण का निराकरण किया गया है। वर्तमान में आबंटित भूखण्डों की बकाया शेष राशि एवं भू–भाटक वर्ष 2024–25 तक की राशि जमा कराये जाने हेतु 149 आबंटितो को सूचना पत्र जारी किया गया है। सूचना पत्र मिलते ही सभी पशुपालक निगम आयुक्त से मिलने पहुंचे। पशुपालकों द्वारा निवेदन किया गया कि कोर्ट के अवधि एवं ब्याज की राशि में छूट दिया जावे। सभी पशुपालक राशि जमा करने सहमति दिये है। आयुक्त ने यह भी बताया कि गोकुल नगर के भूमि आबंटन की राशि निगम में जमा होने पश्चात उस राशि को गोकुल नगर के मूलभूत सुविधाओं जैसे– सड़क, नाली, बिजली, पानी एवं साफ–सफाई के लिए उपयोग किया जायेगा, जिससे वहां का बसाहट सुव्यवस्थित हो सके। कुछ पशुपालकों द्वारा जमीन आबंटन की राशि निगम में जमा नहीं किये है और जमीन अन्य व्यक्ति को बेच दिए है। ऐसे पशुपालकों का आबंटन निरस्त किया जायेगा। बैठक के दौरान राजस्व अधिकारी जे.पी.तिवारी, पशुपालक पप्पू यादव, दिलावर यादव, दिनेश राय, महेन्द्र यादव, रामप्रसाद यादव आदि उपस्थित रहे।